fogxkoykdu

1. jkT; d s lkoZtfud {ks= d s miØe dk fogxkoykdu

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा भाासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से भाासित होती है। 31 मार्च 2012, को उत्तर प्रदे ा राज्य में 85 कार्यरत पीएसयू (78 कम्पनियाँ एवं 7 सांविधिक निगम) और 43 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) थे, जिनमें 0.79 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने 2011–12 में ₹ 42,987.46 करोड़ का टर्नओवर किया। यह टर्नओवर राज्य के जीडीपी का 6.25 प्रति ात था जो राजकीय पीएसयू द्वारा अर्थव्यवस्था में औसत भूमिका निभाने को इंगित करता है। तथापि, कार्यरत पीएसयू ने 2011–12 में कुल ₹ 6,489.58 करोड़ की हानि वहन की और उनकी संचित हानियाँ ₹ 27,742.12 करोड़ थी।

पीएसयू में निवे ा

31 मार्च 2012 को 128 पीएसयू में ₹ 97,867.69 करोड़ (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का निवे ा था। यह 2006–07 के ₹ 28,950.50 करोड़ से 238.05 प्रति ात बढ़कर 2011–12 में ₹ 97,867.69 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवे ा वृद्धि के कारण था जो कि 2011–12 में कुल निवे ा का 93.38 प्रति ात लेखांकित किया गया। 2011–12 के दौरान सरकार ने अं ा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 7,446.16 करोड़ का योगदान दिया।

पीएसयू का कार्य सम्पादन

कार्यरत पीएसयू की हानि 2006–07 के ₹ 499.50 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 6,489.58 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के दौरान, 85 कार्यरत पीएसयू में से, 32 पीएसयू ने ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 23 पीएसयू ने ₹ 7,691.15 करोड़ की हानि वहन की। पाँच कार्यरत पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 कम्पनियों ने 'न लाभ न हानि' आधार पर अपने लेखाओं का रखरखाव किया। लाभ में योगदान करने वालों में मुख्यतः उत्तर प्रदे ा आवास एवं विकास परिशद (₹ 358.80 करोड़), उत्तर प्रदे ा राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 225.46 करोड़), उत्तर प्रदे ा राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदे ा वन निगम (₹ 125.17 करोड़) थे। ऊर्जा क्षेत्र की चार कम्पनियों द्वारा भारी हानि ₹ 6,849.96 करोड़) वहन की गई।

हानियों का मुख्य कारण, पीएसयू के कार्यप्रणाली में विभिन्न कमियाँ थीं। सीएजी के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा द ार्ति है कि राजकीय पीएसयू की ₹ 16,879.05 करोड़ की हानियाँ एवं ₹ 132.80 करोड़ का निश्फल निवे ा बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। अतः कार्यप्रणाली को सुधारने तथा हानियों को कम करने/समाप्त करने की वृहद सम्भावना है। पीएसयू अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निर्वहन कर सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। पीएसयू की कार्यप्रणाली में पे ोवर दृष्टिकोण एवं जवाबदेही की आव यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयू के लेखाओं में सुधार की आव यकता है। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक 50 कार्यरत कम्पनियों के अन्तिमीकृत किये गये 60 लेखाओं में से 47 लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाणपत्र, तीन लेखाओं पर एडवर्स प्रमाणपत्र, एक लेखे पर डिस्क्लेमर और नौ लेखाओं पर अनक्वालिफाइड प्रमाणपत्र निर्गत किये गये। लेखांकन मानकों के अनुपालन न करने के 109 दृष्टांत थे। अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान छः सांविधिक निगमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गये छः लेखाओं में से तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा हमने सम्पादित की और दो लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाणपत्र और एक लेखे पर एडवर्स प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। भोश तीन निगमों की लेखापरीक्षा अन्तिमीकरण के अधीन थी (सितम्बर 2012)।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

85 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्श 2011–12 के अपने लेखे अन्तिमीकृत किये जबकि सितम्बर 2012 में 81 पीएसयू के 234 लेखे एक से 16 वर्ष की अवधि से बकाया थे। पीएसयू हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए बकाये को समयबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की आव यकता है। 43 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) में से, 12 परिसमापन में थीं, और भोश 31 में लेखे एक से 37 वर्ष के बकाये में थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की कार्यवाही तेज करनी चाहिये।

2. jkT; d lkoltfud {k= d miØek l lEcfU/kr fu'iknu y[kkijh{kk

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। हमारे लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की कार्यकारी सारांश निम्नवत हैः

2.1 उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) एवं राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा प्रबन्धित किया जाता है। 31 मार्च 2007 को कम्पनी के पास 21,619 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का पारेषण नेटवर्क एवं 276 एक्स्ट्रा हाई टेंशन उपकेन्द्र (एसएस) थे जो बढ़कर 31 मार्च 2012 को 25,064.90 सीकेएम लाइन एवं 53,338 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकेन्द्र हो गये। पारेषित ऊर्जा की मात्रा वर्ष 2007–08 में 51,472.14 मि.यू. से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 70,029.47 मि.यू. हो गयी।

नियोजन एवं विकास

कम्पनी ने क्षमता वृद्धि एवं विस्तार हेतु वार्षिक योजना तैयार करी। उपकेन्द्रों एवं लाइनों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि पाँच वर्षों के दौरान 222 उपकेन्द्रों की नियोजित वृद्धि एवं 12,877 सीकेएम लाइनों के निर्माण के विरुद्ध केवल 81 उपकेन्द्रों एवं 3,445.90 सीकेएम लाइनों का निर्माण हुआ था। अल्पप्राप्ति का कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब था।

परियोजना प्रबन्धन

कम्पनी अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर सकी जिसके कारण वर्ष 2007–12 के दौरान एक माह से 216 महीनों तक का समयाधिक्य एवं ₹ 105.02 करोड़ का लागत आधिक्य था। समयाधिक्य का कारण भूमि अधिग्रहण, रेलवे से अनुमोदन प्राप्त करने एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने आदि में विलम्ब था।

कम्पनी भार की आवश्यकता का आँकलन करने में विफल रही और अल्प क्षमता वाले दो उपकेन्द्रों का निर्माण किया। बाद में ₹ 13.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गयी।

क्रय

कम्पनी ने दो प्रकरणों में अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपवाक्य को लागू न करके ₹ 4.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। अग्रेतर, काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण कम्पनी ने ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन

उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण का कार्य सामान्यतः खुली निविदा के माध्यम से टर्नकी के आधार पर दिया गया था। कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम के प्रतिकूल टर्नकी अनुबन्धों में ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति को शामिल करके, उच्च दरों पर अनुबन्ध प्रदान करके, निविदा को दो पैकेजों में विभाजित करके एवं टावर डिजाइन का मानकीकरण न करने के कारण ₹ 158.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली नहीं किया।

पारेषण प्रणाली का निष्पादन

कम्पनी की सम्पूर्ण पारेषण क्षमता (अतिरिक्त हेतु 30 प्रतिशत छोड़कर), वर्ष 2007–08 को छोड़कर, प्रतिवर्ष आवश्यकता से अधिक थी। मानक के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर सुनिश्चित करने में कम्पनी विफल रही। चार परिमण्डलों में 255 पोषकों में से 68 पोषक 366 एम्पियर से अधिक भारित थे। 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों (49 एकल बस बार उपकेन्द्र एवं 18 उपकेन्द्र दो बस बार वाले) में से मात्र 18 उपकेन्द्रों में बस बार प्रोटेक्शन पैनल थे, जिनमें से केवल तीन कार्यशील अवस्था में थे।

उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

कम्पनी ने 220 केवी के 5 उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के एक उपकेन्द्र में ट्रान्सफार्मरों की अनुमन्य अधिकतम क्षमता को पार किया था। न्यूनतम दो ट्रान्सफार्मरों के मानक के विरुद्ध कम्पनी के पास 220 केवी के चार उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के 48 उपकेन्द्रों में एकल ट्रान्सफार्मर थे।

ग्रिड प्रबन्धन

357 उपकेन्द्रों एवं 9 जनरेटरों में से केवल 93 उपकेन्द्रों (26.05 प्रतिशत) एवं 9 जनरेटरों में रिमोट टर्मिनल युनिट की व्यवस्था थी। अग्रेतर, ग्रिड मानक के उल्लंघन हेतु कम्पनी ने अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान नार्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर से 120 (ए–टाइप), 107 (बी–टाइप) एवं 21 (सी–टाइप) संदेश प्राप्त

किया। ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के कारण सीईआरसी द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया गया।

वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी ने समस्त पाँच वर्षों में हानियाँ वहन की और निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संचित हानियाँ ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, उक्त अवधि के दौरान ऋण–इक्विटी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया।

टैरिफ निर्धारण

कम्पनी द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) वर्ष 2008–09 को छोड़कर निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर प्रस्तुत किया गया।

सामग्री प्रबन्धन

निदेशक मण्डल के निर्णय के बावजूद कम्पनी ने वर्ष 2001 से पड़े हुए 51 क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी ट्रान्सफार्मरों का निस्तारण नहीं किया। कम्पनी का अन्तिम स्टॉक 2007–08 में ₹ 290.17 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 606.51 करोड़ हो गया। अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के तुल्य था।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी, नियोजित क्षमता वृद्धि को प्राप्त करने में विफल रही जिसने वृहद अल्पप्राप्ति दर्ज किया, समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के साथ परियोजनाओं को पूर्ण किया, उत्पादन योजना के साथ ऊर्जा निकासी प्रणाली के निर्माण में समन्वय स्थापित करने में विफल रही और विद्यमान पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा निकासी को प्रबंधित किया, बिना समुचित भार आवश्यकता का आँकलन किये उपकेन्द्रों एवं लाइनों का निर्माण किया जो अल्प उपयोज्य थे, एकल ट्रान्सफार्मरों के साथ उपकेन्द्रों का निर्माण किया जो मैनुअल ऑफ ट्रान्समिशन प्लानिंग क्राईटेरिया के प्रावधानों के प्रतिकूल था। वोल्टेज प्रबंधन प्रणाली ग्रिड संहिता में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी, ग्रिड अनुशासन का अनुपालन नहीं किया गया था और कम्पनी के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं आपदा प्रबंधन हेतु अवसंरचना नहीं थी।

हमने क्षमता वृद्धि हेतु वार्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं यथा नियोजित परियोजनाओं को पूर्ण करने, उत्पादन प्रणाली से समन्वय स्थापित करते हुए ऊर्जा निकासी प्रणाली हेतु नियोजन करने, पारेषण नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन एवं रख–रखाव हेतु एमटीपीसी/बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, पर्याप्त आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं उपकेन्द्रों एवं लाइनों की सुरक्षा हेतु संस्तुत प्रणाली की स्थापना करने, ग्रिड संहिता के अनुसार एसएलडीसी का रख–रखाव करने और ग्रिड की सुरक्षा हेतु रिअल टाइम आधार पर आरटीयू के माध्यम से सभी जनरेटरों एवं उपकेन्द्रों को एसएलडीसी से संयोजन सुनिश्चित करने हेतु छः संस्तुतियाँ की है। ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन से बचने हेतु फ्रिक्वेन्सी स्तर का अनुपालन किया जाना चाहिए।

2.2 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में मार्च, 1961 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के आधीन राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के विकास व औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु किया गया जिसके लिए यह शीर्ष इकाई है।

भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य, जिला प्रशासन व सरकार के स्तर पर हुई देरी के कारण, प्राप्त नहीं किये जा सके। उपलब्ध भूमि को विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण, न केवल भूमि के पश्चात्वर्ती अधिग्रहण में धन अवरुद्ध रहा बल्कि सोलेशियम के भुगतान के रूप में व्यय भी व्यर्थ रहा।

बुलन्दशहर में 1993 में 1,200.483 एकड़ तथा अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 तक 2,584.292 एकड़ अधिग्रहण की गयी भूमि का भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका जिसके कारण ₹ 297.29 करोड़ अवरुद्ध रहा।

कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जिसके विरुद्ध मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि का ही कन्वेयन्स डीड निष्पादित कराया है।

अधिग्रहीत भूमि पर अवसंरचना का विकास

कम्पनी ने विकास हेतु 248 अनुबन्ध निष्पादित किए जिनमें से 201 अनुबन्ध अल्पकालीन निविदा के तहत बिना किसी स्पष्टीकरण के निष्पादित किए तथा ₹ 63.37 करोड़ के 33 अनुबन्धों का निष्पादन अति अल्पकालीन निविदा के तहत किया गया, यद्यपि मैनुअल में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

40 अनुबन्धों के परीक्षण से उजागर हुआ कि निविदा को निम्न पद के कर्मचारियों द्वारा अन्तिमीकृत किया गया जबकि प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य अभियन्ता ने निविदा प्रपत्रों एवं तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किया। प्रबन्ध निदेशक ने 'नोट–शीट' पर पृथक रूप

से स्वीकृति प्रदान की। कम्पनी ने बिना औचित्य दिए कार्य को समूहों में विभाजित करके 130 अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया। कम्पनी ने 107 अनुबन्ध एक ही ठेकेदार को दिए जिसमें से 48 अनुबन्ध मार्च 2012 तक अपूर्ण थे जिससे समूहीकरण का उद्दे य विफल रहा।

मुख्य अभियन्ता ने 39 अनुबन्धों के विरुद्ध 19 ठेकेदारों को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि क्रियान्वित कार्यों के बीजक उपलब्ध नहीं थे जिसमें से ₹ 5.64 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इस अमान्य भुगतान से ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

21 अनुबन्धों में वसूली योग्य ₹ 2.65 करोड़ के अर्थदण्ड के सापेक्ष मात्र ₹ 1.07 लाख के अर्थदण्ड की वसूली की गयी।

दस अनुबन्ध चार से छः वर्ष की देरी के बावजूद अपूर्ण रहे जिससे ₹ 21.17 करोड़ अवरुद्ध रहे तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास में देरी हुई।

कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रबन्ध निदे ाक के निर्दे ा (जून 2007) के विपरीत नौ अनुबन्धों में ₹ 3.03 करोड़ का भुगतान किया गया। भौतिक सत्यापन से पता चला कि चकेरी–II तथा मंधना स्थलों पर ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री कम पाई गयी।

औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबन्ध

2011–12 तक पाँच वर्षों के दौरान आवंटित भूखण्डों का उपयोग 48.77 प्रतिशत से 54.27 प्रति ात के मध्य रहा। कम्पनी को रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण के कारण ₹ 11.30 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व हानि हुई।

212 मामलों में, पट्टा विलेख के निष्पादन बिना भूखण्डों के हस्तान्तरण से ₹ 5.40 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की हानि हुई तथा 303 मामलों में ₹ 18.81 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी की वसूली, पट्टा विलेख के निष्पादन न होने के कारण, नहीं की जा सकी।

पाँच ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के रिजर्व प्राइस का निर्धारण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया जिससे ₹ 110.10 करोड़ की हानि हुई।

आठ ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों तथा 34 वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन निर्धारित प्रणाली के विपरीत किया गया जिससे बाजार मूल्य पर ₹ 152.29 करोड़ तथा 'सर्किल रेट' पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

मासिक/त्रैमासिक लेखे तैयार नहीं किये जाते जिसके कारण कम्पनी अपनी आय का सही निर्धारण नहीं कर सकी जिसके कारण इसे ₹ 5.45 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ा। अधीनस्थ कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण का अभाव तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण न होना आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर बनाता है और इसके फलस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने में विफल रही, भूमि अधिग्रहण व्यय एवं मुआवजे का अधिक भुगतान किया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण जनपद अधिकारियों के पास कोश अवरुद्ध रहा, निविदा प्रक्रिया की अवहेलना हुई, रिजर्व प्राइस को कम दर पर निर्धारण करने एवं प्रीमियम का पुनरीक्षण न करने के कारण अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही।

हमने विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति, सही निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने, दर निर्धारण एवं पुनरीक्षण नीति के अनुपालन हेतु छः सिफारि ों की हैं।

3. l0;ogkjk dh ys[kkijh{kk i{k.k

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहारों के लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे। इंगित की गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

₹ 16,015.34 करोड़ की परिहार्य हानि/व्यय के दस प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.1, 3.3 से 3.7 एवं 3.11 से3.14)

₹ 4.19 करोड़ के देयों की वसूली न किये जाने के तीन प्रकरण थे।

(प्रस्तर3.8 से3.10)

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों के साराँश नीचे दिये गये हैं:

- ;-ih- ikt DV·l dkjikj ku fyfeVM ने एक फर्म का अनुचित पक्षपात किया और एस्ट्रोटर्फ का आपूर्ति आदेश उच्च दरों पर प्रदान किया।

(प्रस्तर3.2)

- mRrj insk ikoj dkjiksjs'ku fyfeVsM ऊर्जा क्रय के लिए उच्च दर की निविदा को अन्तिम रूप देने के कारण ₹ 10,831.82 करोड़ की अनुवर्ती हानि वहन करेगा।

(प्रस्तर 3.4)

- nf{k.kkapy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM द्वारा बिड मूल्याँकन प्रक्रिया और अनुपूरक अनुबन्ध में अनियमितता करने के कारण और साथ ही साथ ईटीएफ की अनुशंसाओं से विचलन किया। इसके कारण मार्च 2012 तक ₹ 421.12 करोड़ की हानि हो चुकी है और अनुबन्ध के शेष 18 वर्षों में ₹ 4,601.12 करोड़ की और हानि होगी।

(प्रस्तर 3.6)

- mRrj insk jkT; fo|qr mRiknu fuxe fyfeVsM ने ओबरा थर्मल पावर प्लाण्ट की युनिट–8 के पुनर्नवीयन एवं आधुनिकीकरण का अनुचित नियोजन किया जिसके परिणामस्वरूप सामग्रियों की खरीद पर ₹ 31.88 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.7)

- mRrj insk ty fuxe में अधिशेष मिट्टी की पुनर्प्राप्ति और निस्तारण में प्रणालीगत कमियाँ थीं जिससे ₹ 7.84 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और निगम ने ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व अर्जित करने के अवसर खो दिये।

(प्रस्तर 3.12)

- mRrj insk Hk.Mkj.k fuxe अग्रिम कर के सही आँकलन करने में विफल रहा, साथ ही निर्धारित तिथि के बाद आय का रिटर्न जमा करने के कारण ₹ 3.01 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.14)